BRSM010004802026

Presented on : 03-01-2026
Registered on : 03-01-2026
Decided on : 01-06-2026
Duration : 0 years, 4 months, 29 days

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, समस्तीपुर

सत्र वाद सं0–36 / 2026

पंजीयन सं0–36 / 2026

बिहार राज्य द्वारा अरविन्द राय, पे0–शिवजी राय,
सा0–खोकसा, थाना–दलसिंहसराय, जिला–समस्तीपुर.....................................अभियोजन पक्ष।

ब ना म्

1. पंकज राय, पे0–जगरनाथ राय..उम्र लगभग 21 वर्ष,
सा0–रामपुर जलालपुर, थाना–दलसिंहसराय, जिला–समस्तीपुर................................अभियुक्त।

थाना–दलसिंहसराय,
जिला–समस्तीपुर,
प्राथमिकी सं0–188 / 2025,
प्राथमिकी अन्तर्गत धारा–191(2),190,103(1),351(2),351(3) भा0 न्या0 सं0,
संज्ञान अन्तर्गत धारा–126(2),115(2),103(1),352,351(2)(3),3(5) भा0 न्या0 सं0,
आरोप अन्तर्गत धारा–126(2) / 3(5), 115(2) / 3(5), 103(1) / 3(5), 352 / 3(5), 351(3) / 3(5) भा0 न्या0 सं0,
अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री रमेश प्रसाद सिंह, अपर लो0 अभि0,
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री विजयेन्द्र कुमार ठाकुर, अधिवक्ता।
निर्णय की तिथि–01.06.2026

उपस्थित–अखिलेश कुमार सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
समस्तीपुर।

नि र्ण य

1. उपरोक्त नामित अभियुक्त पंकज राय के विरूद्ध धारा 126(2) / 3(5), 115(2) / 3(5), 103(1) / 3(5), 352 / 3(5), 351(3) / 3(5) भा0 न्या0 सं0 के अन्तर्गत आरोपों का गठन किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार कर विचारण का दावा किया।

2. सूचक सूचक अरविन्द राय द्वारा थानाध्यक्ष, दलसिंहसराय को दिए गए आवेदन–पत्र के अनुसार अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 27.05.2025 को समय करीब 8.00 बजे रात्रि में अभियुक्त राजीव राय, प्रवीण राय, अमरनाथ राय, जगरनाथ राय, पप्पू राय, गुलशन कुमार, चन्द्र भूषण कुमार उर्फ गोलू, मनीष कुमार, विश्वनाथ राय, पंकज राय, प्रमिला देवी, रामकली देवी, संजू देवी, विपिन कुमार एवं पिन्टू कुमार एक राय व विचार कर उसके दरवाजा पर आकर उसके पिता को गाली–गलौज करते हुए कहने लगे कि आपके जमीन में हमलोग घर बना लिए हैं और 27 वर्षो से केस

Web Copy

लड़ रहे हैं, सब कुछ जानने वाले यही है, इसी को मार दो। उसके पिता जान की भीख मांगते रहे, बोले जो समस्या है, सुबह बैठकर पंचों के सामने फरिया लीजिए, उसे जान से नहीं मारिए। प्रवीण कुमार एवं गुलशन राय उसके पिताजी का सर पकड़कर घुमा दिया और सभी लोग घेरकर जान मारने की बात कहते हुए कहने लगे कि यही बुढा गुर का गाछ है, इसे समाप्त कर दो और उसके पिता का गर्दन तोड़कर हत्या कर दिए।

3. सूचक अरविन्द राय द्वारा दिए गए उपरोक्त आवेदन–पत्र के आधार पर प्रस्तुत मामला दलसिंहसराय थाना कांड सं0–188 / 2025, दिनांक 28.05.2025, अन्तर्गत धारा 191(2),190,103(1),351(2),351(3) भा0 न्या0 सं0, कुल पन्द्रह अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज किया गया एवं अनुसंधानोपरांत प्राथमिकी नामित अभियुक्त पंकज राय के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए अन्य दस अभियुक्त विश्वनाथ राय, पिन्टू कुमार, अमरनाथ राय, विपिन कुमार, रामकली देवी, जगरनाथ राय, चन्द्र भूषण कुमार उर्फ गोलू, संजू देवी, प्रमिला देवी, पप्पू राय के विरूद्ध छीनबीन एवं ठोस साक्ष्य संकलन के पश्चात ही अभियुक्त स्थापित करने की बात कहते हुए अभियुक्त प्रवीण कुमार उर्फ प्रवीन्द्र राय, राजीव राय सहित विधि विरूद्ध किशोर मनीष कुमार एवं गुलशन कुमार उर्फ चन्द्रदीप कुमार के विरूद्ध आरोप–पत्र सं0–513300525018801 दिनांक 20.08.2025, अन्तर्गत धारा 126(2),115(2),103(1),352,351(2)(3),3(5) भा0 न्या0 सं0, समर्पित किया गया जिसके आधार पर विद्वान अपर मुख्य न्या0 दण्डा0, प्रथम, दलसिंहसराय द्वारा दिनांक 23.09.2025 को आरोप–पत्रित अभियुक्त प्रवीण कुमार उर्फ प्रवीन्द्र राय, राजीव राय सहित विधि विरूद्ध किशोर मनीष कुमार एवं गुलशन कुमार उर्फ चन्द्रदीप कुमार के विरूद्ध धारा 126(2),115(2),103(1),352,351(2)(3),3(5) भा0 न्या0 सं0 के अन्तर्गत संज्ञान लेते हुए विधि विरूद्ध किशोर मनीष कुमार एवं गुलशन कुमार उर्फ चन्द्रदीप कुमार का वाद पूर्व में किशोर न्याय, परिषद भेजे जाने के कारण आदेश की प्रति किशोर न्याय परिषद, समस्तीपुर भेजने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात अनुसंधानकर्ता द्वारा वरीय पदाधिकारी द्वारा दिए गए अन्य बिन्दुओं पर पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए विचारण का सामना कर रहे उपरोक्त नामित अभियुक्त पंकज राय के विरूद्ध पूरक आरोप–पत्र सं0–513300525018802 दिनांक 29.11.2025, अन्तर्गत धारा 126(2),115(2),103(1),352, 351(2)(3),3(5) भा0 न्या0 सं0, समर्पित किया गया जिसके आधार पर विद्वान अपर मुख्य न्या0 दण्डा0, प्रथम, दलसिंहसराय द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूर्व में दिनांक 23.09.2025 को लिए गए संज्ञान को मान्य करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप धारा 103(1) भा0 न्या0 सं0 अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण दिनांक 06.01.2026 को वाद सत्र न्यायालय में दौरा सुपुर्द कर दिया गया जहां से वाद विचारण एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

4. अभियुक्त पंकज राय के विरूद्ध धारा 126(2) / 3(5), 115(2) / 3(5), 103(1) / 3(5), 352 / 3(5), 351(3) / 3(5) भा0 न्या0 सं0 के अन्तर्गत आरोपों का गठन कर उसे हिन्दी में पढकर सुना एवं समझा दिया गया जिसे सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोपों को इंकार किया तथा अपने को निर्दोष बताते हुए वाद विचारण का दावा किया।

5. अभियोजन साक्ष्य बंद कर अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 द0

Web Copy

प्र0 सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त अपने को निर्दोष बताया।

6. अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित करने में सफल हो पाया है ?

मंतव्य

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले के समर्थन में निम्नलिखित तीन साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है–

अ0 सा0 सं0 1. अनिल राय,

अ0 सा0 सं0 2. राधा देवी,

अ0 सा0 सं0 3. अरविन्द राय (सूचक)।

मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज को प्रस्तुत एवं प्रमाणित किया गया है–

प्रदर्श–P-1/P.W-03 : लिखित आवेदन पर साक्षी/सूचक अरविन्द राय का हस्ताक्षर।

8. बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अ0 सा0 सं0 1 अनिल राय अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना करीब 7–8 महीना पहले की है। उस समय रात्रि का करीब 8 बज रहा था। वह उस समय अपने घर में सोया था। शिवजी राय के दजवाजे पर हल्ला हो रहा था। वह हल्ला सुनकर शिवजी राय के दरवाजा पर गया तो देखा कि शिवजी राय नादी पर गिरे एवं मरे हुए थे। शिवजी राय हॉर्ट अटैक की बीमारी से मर गए थे। पुलिस के समक्ष उसका बयान नहीं हुआ था। साक्षी ने अभियुक्त पंकज राय की पहचान किया है। इस साक्षी को अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है।

यह साक्षी अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए प्रति परीक्षण में इस तथ्य को इंकार किया है कि पुलिस के समक्ष अपने बयान में कहा था कि शिवजी राय को अभियुक्त राजीव राय, प्रवीण राय, अमरनाथ राय, जगरनाथ राय, पप्पू राय, गुलशन कुमार, चन्द्र भूषण कुमार, मनीष कुमार, विश्वनाथ राय, पंकज राय, प्रमिला देवी, रामकली देवी, संजू देवी, विपिन कुमार एवं पिन्टू कुमार द्वारा जमीन संबंधित विवाद को लेकर मारपीट कर हत्या कर दिया गया है। साक्षी इस तथ्य को भी इंकार किया है कि वह मुदालय के मेल में आकर सत्य बात छुपा रहा है।

यह साक्षी बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रति परीक्षण में कहा है कि पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। शिवजी राय से अभियुक्त को कोई झंझट नहीं था। शिवजी राय नादी पर गिर गए थे। वह शिवजी राय को नादी पर गिरा हुआ देखा था। शिवजी राय की मृत्यु हार्ट–अटैक के कारण हुई थी। अभियुक्त उसका ग्रामीण है इसलिए पहचानता है।

Web Copy

10. अ0 सा0 सं0 2 राधा देवी मुख्य परीक्षा में कही है कि घटना करीब 8 महीना पहले की है। उस समय रात्रि का समय था। वह अपने घर पर थी। शिवजी राय के घर पर हल्ला हो रहा था। वह हल्ला सुनकर शिवजी राय के दरवाजे पर गई तो वहॉ देखी कि शिवजी राय का शव खटिया पर रखा हुआ था। शिवजी राय की मृत्यु कैसे हुई इस बात की उसे जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष उसका बयान हुआ था। इस साक्षी को भी अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर पक्षद्रोही साक्षी धोषित किया गया है।

यह साक्षी अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए प्रति परीक्षण में इस तथ्य को इंकार किया है कि पुलिस के समक्ष ऐसा नहीं कही थी कि राजीव राय, प्रवीण राय, अमरनाथ राय, जगरनाथ राय, पप्पू राय, गुलशन कुमार, चन्द्र भूषण कुमार, मनीष कुमार, विश्वनाथ राय, पंकज राय, प्रमिला देवी, रामकली देवी, संजू देवी एवं पिन्टू कुमार ने मिलकर उनके साथ मारपीट कर शिवजी राय का हत्या कर दिया। साक्षी इस तथ्य को भी इंकार की है कि अभियुक्त के मेल में आकर सत्य बात छुपा रही है।

यह साक्षी बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रति परीक्षण में कही है कि घटना के समय अंधेरी रात थी। शिवजी राय का जहॉ लाश था वहॉ मवेशी बांधा जाता था एवं वहॉ नाद रखा जाता था। वह अपनी ऑखों से कोई घटना नहीं देखी थी।

11. अ0 सा0 सं0 3 अरविन्द राय, जो इस मामले का सूचक है, ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना करीब आठ महीना पहले की है। उस समय रात्रि का 8–8:30 बज रहा था। वह उस समय अपने गॉव में था। हल्ला सुनकर वह अपने घर के पास पहुॅचा तो देखा कि पिताजी नादी पर मृत अवस्था में गिरे हुए थे। उसके पिताजी पहले बीमार थे तथा उनका इलाज भी चल रहा था। अगल–बगल के लोगों ने बताया कि राजीव कुमार, प्रवीण कुमार, पंकज कुमार, मनीष कुमार, गुलशन कुमार, पप्पू राय, विश्वनाथ राय, अमरनाथ राय, जगरनाथ राय, प्रमिला देवी, रमाकली देवी वगैरह ने उसके पिताजी को मारपीट किया था। घटना के संबंध में वह थाना में लिखित आवेदन दिया। लिखित आवेदन पर उसका हस्ताक्षर है। साक्षी के पहचान पर लिखित आवेदन पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श–P-1/P.W-03 अंकित किया गया। साक्षी ने अभियुक्त पंकज राय की पहचान किया है।

यह साक्षी अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि घटना के समय वह अपने घर पर नहीं था। घटना के बारे में उसे किसने बताया था यह उसे याद नहीं है। घटना के समय रात अंधेरी थी। मुदालय लोग उसका फरीक हैं। बाद में उसे पता चला कि अंधेरा के कारण उसके पिताजी नादी पर गिर गए थे जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में उसे यह भी पता चला कि मुदालय लोगों ने उसके पिताजी के साथ मारपीट नहीं किया था। लिखित आवेदन किसने लिखा था यह वह नहीं बता सकता है। वह लिखित आवेदन को नहीं पढा था। वह सिर्फ लिखित आवेदन पर अपना हस्ताक्षर किया था।

12. इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है एवं ऐसा नहीं कर पाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है।

Web Copy

13. उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले के समर्थन में कुल तीन साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है। अ0 सा0 सं0 1 अनिल राय अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि शिवजी राय के दजवाजे पर हल्ला हो रहा था। वह हल्ला सुनकर शिवजी राय के दरवाजा पर गया तो देखा कि शिवजी राय नादी पर गिरे एवं मरे हुए थे। शिवजी राय हॉर्ट अटैक की बीमारी से मर गए थे। पुलिस के समक्ष उसका बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी को अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। यह साक्षी अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था। शिवजी राय से अभियुक्तगण को कोई झंझट नहीं था। शिवजी राय नादी पर गिर गए थे। वह शिवजी राय को नादी पर गिरा हुआ देखा था। शिवजी राय की मृत्यु हार्ट–अटैक के कारण हुई थी। अ0 सा0 सं0 2 राधा देवी मुख्य परीक्षा में कही है कि शिवजी राय के घर पर हल्ला हो रहा था। वह हल्ला सुनकर शिवजी राय के दरवाजे पर गई तो वहॉ देखी कि शिवजी राय का शव खटिया पर रखा हुआ था। शिवजी राय की मृत्यु कैसे हुई इस बात की उसे जानकारी नहीं है। इस साक्षी को भी अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर पक्षद्रोही साक्षी धोषित किया गया है। यह साक्षी अपने प्रति परीक्षण में कही है कि घटना के समय अंधेरी रात थी। शिवजी राय का जहॉ लाश था वहॉ मवेशी बांधा जाता था एवं वहॉ नाद रखा जाता था। वह अपनी ऑखों से कोई घटना नहीं देखी थी। अ0 सा0 सं0 3 अरविन्द राय, जो इस मामले का सूचक है, ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना के समय अपने गॉव में था। हल्ला सुनकर वह अपने घर के पास पहुॅचा तो देखा कि पिताजी नादी पर मृत अवस्था में गिरे हुए थे। मेरे पिताजी पहले बीमार थे तथा उनका इलाज भी चल रहा था। अगल–बगल के लोगों ने बताया कि राजीव कुमार, प्रवीण कुमार, पंकज कुमार, मनीष कुमार, गुलशन कुमार, पप्पू राय, विश्वनाथ राय, अमरनाथ राय, जगरनाथ राय, प्रमिला देवी, रमाकली देवी वगैरह ने उसके पिताजी को मारपीट किया था। यह साक्षी अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि घटना के समय वह अपने घर पर नहीं था। घटना के बारे में उसे किसने बताया था यह उसे याद नहीं है। घटना के समय रात अंधेरी थी। मुदालय लोग उसका फरीक हैं। बाद में उसे पता चला कि अंधेरा के कारण उसके पिताजी नादी पर गिर गए थे जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में उसे यह भी पता चला कि मुदालय लोगों ने उसके पिताजी के साथ मारपीट नहीं किया था। लिखित आवेदन किसने लिखा था यह वह नहीं बता सकता है। वह लिखित आवेदन को नहीं पढा था। वह सिर्फ लिखित आवेदन पर अपना हस्ताक्षर किया था। इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है एवं ऐसा नहीं कर पाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य से विचारण का सामना कर रहे उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप युक्तियुक्त शंकाओं से परे प्रमाणित नहीं होते हैं। तदनुसार आदेश पारित किया जाता है–

आ दे श

14. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य तथा अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक साक्षी के साक्ष्य के अभाव में यह

Web Copy

न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष इस वाद के उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेहो से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त पंकज राय को धारा 126(2)/3(5), 115(2)/3(5), 103(1)/3(5), 352/3(5), 351(3)/3(5) भा0 न्या0 सं0 के आरोपों से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया जाता है तथा अभियुक्त को इस मामले में स्वतंत्र किया जाता है। अभियुक्त को एवं उसके प्रतिभुओं को बंध–पत्र के दायित्वों से भी उन्मोचित किया जाता है। कार्या0 लि0 को निर्देश दिया जाता है कि निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर को प्रेषित करते हुए अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

निर्णय लेखापित एवं संशोधित तथा
खुले न्यायालय में उद्घोषित

(अखिलेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
समस्तीपुर

(अखिलेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
समस्तीपुर

Web Copy